यू.एस. कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) गृह मंत्रालय से पृथक व एक विशिष्ट निकाय है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बनाया गया यह निकाय, एक स्वतंत्र, द्विदलीय व अमेरिकी सरकार का सलाहकार निकाय है जो विश्व स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता पर नज़र रखता है और राष्ट्रपति, गृहमंत्री तथा कांग्रेस के लिए नीतिगत अनुशंसाएं करता है। यूएससीआईआरएफ इन अनुशंसाओं का आधार हमारे वैधानिक शासनादेश और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानकों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों को बनाता है। 2016 की वार्षिक रिपोर्ट कमिशनर और पेशेवर स्टाफ द्वारा जमीनी तौर पर हुए इन उल्लंघनों को दस्तावेजीकृत करने के एक वर्ष के काम का समापन दर्शाती है और अमेरिकी सरकार के लिए स्वतंत्र नीतिगत अनुशंसाएं करती है। 2016 की वार्षिक रिपोर्ट में 1 फ़रवरी , 2015 से 29 फ़रवरी , 2016 तक की अवधि सम्मिलित की जाति है हालांकि कुछ मामलों में इस समयसीमा के बाद हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है।

भारत

2015 में, भारत में धार्मिक सहिष्णुता की स्थिति बिगड़ गई है और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों में वृद्धि हुई है। अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से ईसाइयों, मुसलमानों, सिखों को हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रताड़ना, उत्पीड़न और हिंसा की कई घटनाओं का अनुभव करना पड़ा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य मौन रूप से इन समूहों का समर्थन करते हैं और धार्मिक-विभाजनकारी भाषा का इस्तेमाल कर तनाव को भड़काते हैं। ऐसे मुद्दे, जिनमें लंबे समय से चल रहे पुलिस द्वारा किए गए पक्षपात और न्यायिक अपर्याप्तता की समस्यायों ने व्यापक तौर पर दंडाभाव का वातावरण पैदा कर दिया है, जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाए धर्म प्रेरित अपराधों के समय असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। पिछले वर्ष में, "उच्च जाति" के व्यक्तियों और स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने उन हिंदुओं को भी धार्मिक मंदिरों में प्रवेश करने से रोका है जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (दलितों) का हिस्सा माना जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सरकार या राज्य सरकारों ने धर्मांतरण, गौ हत्यागौ हत्या और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशों से आर्थिक सहायता लेने पर प्रतिबंधित लगाने के लिए कई कानून लागू किए हैं। इसके अलावा, एक भारतीय संवैधानिक प्रावधान जो सिख, बौद्ध और जैन को हिंदु मानता है, धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विपरीत है, इन चिंताओं के आधार पर, यूएससीआइआरएफ (USCIRF) ने भारत को फिर टायर-2 में रखा है, जहां यह 2009 से स्थित है। हालांकि, यूएससीआइआरएफ (USCIRF) ने यह नोटिस किया है कि भारत

धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में एक नकारात्मक पथ पर है। यूएससीआइआरएफ (USCIRF) यह निर्धारित करने के लिए आने वाले वर्षों के दौरान इस स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है कि क्या भारत को व्यवस्थित, चल रहे, धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (IRFA) के तहत सीपीसी या "'विशेष चिंता वाला देश" घोषित करने के लिए अमेरिकी प्रदेश विभाग से अनुशंसा की जानी चाहिए।

पृष्ठभूमि

भारत 1.26 अरब या विश्व की कुल जनसंख्या की 1/6 जनसंख्या वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। लगभग 80% जनसंख्या हिंदू है (लगभग 1 अरब); 14% से ज्यादा मुस्लिम हैं (लगभग 17.2 करोड़, विश्व में मुस्लिमों की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या); 2.3% इसाई हैं (2.5 करोड़ से ज्यादा); 1.7% सिख हैं (2 करोड़); 1% से कम बुद्ध हैं (80 लाख); 1% से कम जैन हैं (50 लाख) और एक प्रतिशत वह लोग हैं जो अन्य धर्मों से संबंधित हैं या जिनका कोई धर्म नहीं है (80 लाख लोग)। भारत एक बहु-धार्मिक, बहु-जातिय, बहु-सांस्कृतिक देश और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। इन सकारात्मक विशेषताओं के बावजूद, भारत सरकार ने धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, प्रताड़ना से अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने और अपराध घटित होने पर न्याय प्रदान करने के लिए लंबा संघर्ष किया है।

देश ने समय-समय पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसाओं का अनुभव किया है जिसमें उत्तर प्रदेश में 2013 में, उड़ीसा में 2007-2008 में, गुजरात में 2002 में और दिल्ली में 1984 भी शामिल हैं। 2013 में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुई हिंसक घटनाओं के कारण 40 लोग मारे गए, 12 से अधिक औरतें और लडकियों के साथ बलात्कार हुआ और 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, उनमें से ज्यादातर आज तक अपने घर वापिस नहीं गए हैं। 2007-2008 में उड़ीसा में, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच हुई हिंसा में लगभग 40 लोग मारे गए, चर्चों और घरों को नष्ट कर दिया गया और लगभग 10,000 लोग विस्थापित हो गए। 2002 में गुजरात में, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुई हिंसा में 1200-2500 मुसलमान मारे गए, घर नष्ट हो गए और 100,000 लोगों को मजबूर होकर पलायन करना पड़ा। 1984 के सिख विरोधी दंगों में 3,000 से अधिक सिखों की मौत हुई। भारत ने इन घटनाओं से उत्पन्न अपराधों की जांच और निर्णय करने के लिए विशेष संरचनाएं जैसे की फास्ट ट्रैक अदालते, विशेष जांच टीम (एसआईटी) और स्वतंत्र कमीशन की स्थापना की है। हालांकि,

उनके प्रभावों को सीमित क्षमता, पुरानी न्यायपालिका, असंगत उपयोग, राजनीतिक भ्रष्टाचार और धार्मिक पक्षपात द्वारा, विशेष रूप से राज्य और स्थानीय स्तर पर बाधित कर दिया गया है। इन घटनाओं से उत्पन्न कई मामले अभी भी भारत की अदालत प्रणाली में लंबित हैं।

अल्पसंख्यक धार्मिक नेताओं और समाज, मुस्लिम, ईसाई, सिख समुदायों सहित और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट और सांप्रदायिक सौहार्द धार्मिक-विभाजनकारी का हाल ही में देश के 2014 के आम चुनाव में चुनाव प्रचार किया और जिसमें भाजपा की जीत हुई। जब से भाजपा ने सत्ता संभाली है, तब से धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों पर भाजपा नेताओं द्वारा अपमानजनक टिप्पणीयां हुई हैं और हिंदू राष्ट्रवादी समूहों जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा बल-पूर्वक धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया है और कई हिंसक हमले हुए हैं। भाजपा एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से स्थापित हुई है और इन दोनों ने उच्चतम स्तर पर घनिष्ठ संबंध बनाए रखें हैं। ये समूह *हिंदुत्व* की विचारधारा ("हिंदू धर्म") को मानते हैं, जो हिंदू धर्म और हिंदू मूल्यों के आधार पर भारत को एक हिंदू राज्य बनाने का प्रयास करते हैं। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर 1998 में *हिंदुत्व* की विचारधारा और एजेंडे को अपनाया था।

जहाँ मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को यह पता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे वर्तमान सरकार से पहले से ही हैं, इन समुदायों की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें भाजपा सरकार के समय अधिक लक्षित किया जा रहा है। ईसाईयों से संबंधित गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक नेताओं का कहना है कि ईसाईयों को उन राज्यों में अधिक खतरा है जिन्होनें "धर्म स्वतंत्रता अधिनियम" को अपनाया है, जिसे आमतौर पर धर्मांतरण विरोधी कानून कहा जाता है। सिख समुदाए, जिन्होनें लंबे समय से 1984 की हिंसा के लिए न्याय प्राप्त करने या सिख धर्म की वकालत की है, उनका कहना है की उन्हें हिंदू धर्म से अलग रूप में मान्यता प्राप्त हो, उन्हें भी कई वर्षों से भारत सरकार द्वारा लक्षित किया गया है। मुस्लिम समुदायों की रिपोर्ट के अनुसार 2008 और 2010 में भारत में आतंकवादी हमलों के बाद से मुसलमानों को अनुचित जांच और मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत का सामना करना पड़ा है, जिसे सरकार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आवश्यक ठहरा रही है।

यूएससीआइआरएफ (USCIRF) का प्रतिनिधिमंडल जिसने मार्च 2016 में भारत का दौरा करने की योजना बनाई थी, लेकिन भारत सरकार समूह के लिए वीजा जारी करने में विफल रही, वास्तव में उन्होंने यह करने से इनकार कर दिया।

धार्मिक स्वतंत्रता की शर्तें 2015-2016

मुसलमानों के खिलाफ उल्लंघनः एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान भारत में मुस्लिम समुदाय के प्रति उत्पीड़न, हिंसा, नफरत और लक्षित अभियानों में वृद्धि हुई है। मुसलमानों पर अक्सर आतंकवादी होने; पाकिस्तान के लिए जासूसी करने; जबरन अपहरण, धर्म-परिवर्तित करने और हिंदू महिलाओं से शादी करने; और गायों के कत्लेआम से और हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया जाता है। मुस्लिम समुदाय की रिपोर्ट है कि ये प्रताड़ना स्थानीय और राज्य के नेताओं सहित हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा की जाती है और राष्ट्रीय सरकार इन समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रही है और कभी कभी इनमें उनका योगदान भी होता है। भाजपा और आरएसएस के सदस्यों द्वारा यह दावा करना कि मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हिंदूहिंदू बहुमत कम करने का प्रयास है धार्मिक तनाव को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जैसे उच्च रैंकिंग वाले भाजपा सांसदों द्वारा मुस्लिम जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने के लिए कहा गया है। फ़रवरी , 2015 में संघ परिवार की बैठक की एक वीडियो में, प्रतिभागी "मुसलमानों को नियंत्रित करें और राक्षसों को नष्ट करें" कह रहें हैं, भाजपा शासित कई राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर के नेता वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, इसमें मंच पर बैठे लोग भी शामिल है। मुसलमान दावा करते हैं कि वे सामाजिक और पुलिस पक्षपात की वजह से और आरएसएस द्वारा पुलिस की धमकी के कारण शायद ही कभी दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करते हैं।

इसके अतिरिक्त, मुस्लिम समुदाय के नेताओं और सदस्यों का कहना है कि मस्जिदों की निगरानी रखी जा रही है और युवा लड़कों और पुरुषों को नियमित रूप से और अंधाधुंध हिरासत में लिया जा रहा है और आतंकवाद का मुकाबला करने के नाम पर बिना आरोपों के ही उनको गिरफ्तार किया जा रहा है।

गौ हत्या पर प्रतिबंध: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 और ज्यादातर भारतीय राज्यों (2015 में, 29 में से 24) ने गौ हत्या पर ईद अल-अधा (बलिदान का त्योहार) के दौरान मुसलमानों के

लिए पाबंदी लगाई है या प्रतिबंध लगाया है। इन प्रावधानों का उपयोग मुसलमानों और दलितों (जो विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं) को आर्थिक रूप से हाशिए पर ला देगा; इन समुदायों के कई लोग गाय के मांस उद्योग में काम करते हैं, जिसमें खाने के लिए, ढुलाई के साधन और चमड़े की वस्तुओं का निर्माण भी शामिल हैं। राज्य के आपराधिक कानूनों के तहत जो व्यक्ति गाय या बैल की हत्या या उन्हें कैद करते हैं या मांस खाते हैं उन व्यक्तियों को 10 साल की कैद या 10,000 रूपए (यूएस $ 150) का जुर्माना होगा और इनका उल्लंघन करने के मामूली आरोप भी हिंसा को जन्म दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, सितंबर 2015 में, उत्तर प्रदेश के बिशारा गांव में, लगभग 1,000 लोगों की भीड़ ने मोहम्मद अखलाक को कथित तौर पर एक गाय की हत्या के लिए मार डाला और उसके बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया और हत्या व दंगा करने का आरोप लगाया गया, लेकिन समीक्षाधीन अवधि के अंत तक कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। अक्टूबर 2015 में, भारत प्रशासित कश्मीर में, जाहिद रसूल भट्ट को कथित तौर पर गौ हत्या के लिए गायों को लेजाने के कारण आग लगा दी गई थी और बाद में गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई थी। पांच लोगों को हत्या, दंगा करने, साजिश रचने और विस्फोटकों के इस्तेमाल के लिए गिरफ्तार किया गया था। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि एक फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित की जाएगी। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस (RSS) के सदस्यों द्वारा गौमांस प्रतिबंध कानून के उल्लंघन का इस्तेमाल किया गया है ताकि हिंदुओं को भारतीय मुसलमानों पर हिंसक हमला करने के लिए भड़काया जाए।

ईसाइयों के खिलाफ उल्लंघनः ईसाई समुदायों के कई संप्रदायों ने रिपोर्ट दी है कि पिछले वर्ष में उत्पीड़न की घटनाओं और हमलों में काफी वृद्धि हुई है, जिसका कारण वे भाजपा के मौन समर्थन वाले राष्ट्रवादी हिंदू समूहों को बताते हैं। 2016 की शुरुआत में, वकालत करने वाले एक समूह की रिपोर्ट के अनुसार 2015 के दौरान ईसाइयों और उनके संस्थानों पर कम से कम 365 हमले हुए हैं जो कि 2014 में 120 थे; इन घटनाओं ने 8000 से अधिक ईसाइयों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, नवंबर 2015 में, हिंदू राष्ट्रवादियों ने तेलंगाना राज्य में एक निजी घर में पूजा कर रहे 40 ईसाइयों को गंभीर रूप से घायल किया, जिसमें एक महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। फ़रवरी 2016 में, 35 लोगों की एक भीड़ ने रामनाथपुरम सीरो मालाबार सूबे के पादरी जोस कन्नूकुजाई(Kunnukuzhy) को घायल किया और तीन ने तमिलनाडु राज्य में चर्च

अधिकारियों को मार डाला। कथित तौर पर, स्थानीय पुलिस शायद ही कभी सुरक्षा प्रदान करती है, शिकायतों को स्वीकार करने से इंकार करती है, शायद ही कभी जांच करती है और कभी कभी ईसाईयों को उनका धर्म छिपाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

2015 में, ईसाई समूहों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय सरकारों ने आरएसएस द्वारा "बलपूर्वक धर्मांतरण" के आरोपों और मांगों को मान लिया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। उदाहरण के लिए, फ़रवरी 2016 में मध्य प्रदेश राज्य में दहर ग्राम परिषद ने स्थानीय ईसाई समुदाय पर "शांति और सद्भाव के उल्लंघन" के लिए 5000 रुपए जुर्माना (यूएस $ 75) लगाया, ऐसा उन्होंने स्थानीय आरएसएस के सदस्यों द्वारा यह दावा करने के बाद किया कि वे हिंदुओं को बदलने की कोशिश कर रहे थे। मई 2015 में, मध्य प्रदेश के धार जिले में अधिकारियों ने एक पेंटेकोस्टल बैठक जो प्रति वर्ष होती है उसमें "कानून और व्यवस्था" पर प्रतिबंध लगा दिया। समुदाय ने कहा कि उन्होंने मांग की और उन्हें उपयुक्त परमिट जारी किया गया था और समुदाय का मानना है कि जिसके बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव के कारण रद्द कर दिया गया। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में 50 से अधिक गांवों में प्रभावी ढंग से सभी गैर-हिंदू संस्कार, बैठकों और प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

धर्मांतरण विरोधी कानून: छह भारतीय राज्यों - छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा - में तथाकथित "धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम" है, जिसे आमतौर पर धर्मांतरण विरोधी कानून माना जाता है। राजस्थान राज्य की संसद ने भी धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया था, लेकिन इस पर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया गया। ये कानून, जो अनैतिक धर्मांतरण रणनीति की चिंताओं पर आधारीत होते हैं, आम तौर पर सरकारी अधिकारियों को केवल हिंदू धर्म के बाहर धर्मांतरण की वैधता के आकलन की आवश्यकता होती है, और जो किसी कोई भी बल, धोखाधड़, या "प्रलोभन" का उपयोग कर अन्य लोगों को बदलने के लिए करता है उसे जुर्माना और कारावास की सज़ा दी जाती है। जबकि कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों की कथित रूप से बलपूर्वक धर्मांतरण से रक्षा करते है, वे एक तरफा होते हैं, वे केवल हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण के बारे में चिंतित होते हैं न कि हिंदू धर्म में धर्मांतरण पर। पर्यवेक्षक ध्यान दें कि ये कानून धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए हिंसक अवसर, पर्यावरण पर आम लोगों को विरोधी बनाते हैं, क्योंकि उन्हें अधर्म के आरोपों का समर्थन करने के लिए किसी सबूत

की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, जनवरी 2016 में पुलिस ने हिंदू राष्ट्रवादियों समूहों, बजरंग दल और वीएचपी के सदस्यों द्वारा चर्च के नेताओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप पर कर्नाटक राज्य में 15 ईसाइयों को हिरासत में ले लिया; उन्हें बाद में बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया। दिसंबर 2015 में, कर्नाटक राज्य में दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर शहर में आठ ईसाइयों को बलपूर्वक धर्मांतरण के आरोप से बरी कर दिया गया। वास्तव में उन पर 2007 में आरोप लगाया गया था और सुनवाई समाप्त होने के बाद ही उन्हें रिहा किया गया। 2015 में, उच्च रैंकिंग सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के सदस्यों, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल है, उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी धर्मांतरण धर्मांतरणविरोधी कानून बनाने की घोषणा की।

हिंदू राष्ट्रवादी समूह और जबरन धर्मांतरणः दिसंबर 2014 में, हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने तथाकथित "घर वापसी" कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हजारों ईसाई और मुसलमान परिवारों को हिंदू धर्म में वापिस लाने की योजना की घोषणा की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदू समूहों ने इस अभियान के लिए धन इकट्ठा करना शुरू किया, यह बताते हुए कि इसमें प्रति ईसाई 2,00,000 रुपये (3200 अमेरिकी डॉलर) और प्रति मुसलमान 5,00,000 रुपये (8,000 अमेरिकी डॉलर) लगभग खर्चा आएगा।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हाहाकार के बाद, आरएसएस ने अपनी योजनाओं को स्थगित कर दिया। फिर भी, 2015 में भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के छोटे पैमाने पर बलपूर्वक धर्मांतरण की रिपोर्ट सामने आई है। उदाहरण के लिए, जुलाई 2015 में, केरल में 15 दलित ईसाइयों का कथित रूप से बलपूर्वक धर्मांतरण किया गया। इसके अलावा, फ़रवरी 2016 में, आरएसएस ने भारत भर में रेलवे स्टेशनों में संकेत देकर ईसाइयों को भारत छोड़ने या हिंदू धर्म में बदलने करने के लिए कहा या उन्हें 2021 तक खत्म कर दिया जाएगा।

संविधान का अनुच्छेद *25:* भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि "हिंदुओं को सिख, जैन या बौद्ध धर्म वाले व्यक्तियों के संदर्भ में माना जाएगा, और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में इन्हें लाया जाएगा। "अलग धर्मों के रूप में सिख धर्म, जैन और बौद्ध धर्म की मान्यता के अभाव में इन धर्मों के लोगों को हिंदू व्यक्तिगत स्थिति कानून के लिए विवश किया। चूंकि इन समूहों के लोगों को हिंदु माना जाता है, वे अपने विवाह का पंजीकरण, उनकी जायदाद के वारिस, और बच्चों को अपनाने के लिए खुद को हिंदुओं के रूप में वर्गीकृत करने के लिए मजबूर

किया जा रहा है। इसके अलावा, क्योंकि उन्हें कानून द्वारा हिंदू माना जाता है, उन्हें अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सामाजिक सेवाओं या रोजगार और शिक्षा मेउपलब्ध प्राथमिकताओं के उपयोग से वंचित किया जा रहा है।

सिखों के खिलाफ उल्लंघनः अनुच्छेद *25* के उल्लंघन के साथ साथ सिखों को परेशान भी किया जाता है और उन पर दबाव भी डाला जाता है कि वे धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों का पालन न करें जो कि सिख धर्म में विशेष तौर पर किए जाते हैं जैसे कि उनकी पोशाक, बिना कटे हुए बाल और धार्मिक सामान को साथ रखना जिसमें कृपाण भी शामिल है।

सिख समुदाय ने यह भी रिपोर्ट की है कि भारत सरकार बिना सोचे समझे देश के राजद्रोह कानून के तहत सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता की उपेक्षा करती है चाहे वे वास्तव में खालिस्तान आंदोलन (सिख धर्म के पूर्ण कानूनी मान्यता और पंजाब में एक सिख राज्य की मांग करने वाला एक राजनीतिक आंदोलन) का समर्थन करते हों या नहीं। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2015 में, चंडीगढ़ में सिखों का प्रदर्शन, सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ (गुरु ग्रंथ साहिब) से पृष्ठों के अपवित्र पाए जाने के बाद पंजाब राज्य पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, दो की मृत्य हुई और 70 ज़ख्मी हुए, और कई प्रदर्शनकारियों को राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजाति (***दलित***): आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति में दलितों, या व्यक्तिओं की अनुमानित संख्या 20 करोड़ है, हालांकि इसमें केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और दलित शामिल हैं क्योंकि भारत सरकार गैर-हिंदुओं को दलितों के रूप में नही देखती है। जनवरी 2016 में, रीटा इज़्सक-नाडिया, अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष संवाददाता, ने सूचना दी कि 2015 में दलितों के विरुद्ध अपराध बढ़ा है। 2015 में हिंदू दलितों को धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। कई मामलों में, "उच्च जाति" के व्यक्तियों या स्थानीय राजनीतिक नेताओं द्वारा मंदिरों में हिंदू दलितों के प्रवेश पर प्रतिबंध था। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु राज्य में तिरुपुर ज़िले के 7 गावों में, दलितों को मंदिरों में दाखिल होने या आरती करने की अनुमति नही थी क्योंकि इससे मंदिर "अपवित्र" हो जाते थे। इस प्रतिबंध के विरोध में दर्ज जिला अदालत मामला अभी तक अनिर्णीत है। जून 2015 के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में गुजरात राज्य के 8 जिलों में ऐसे 13 मामले दर्ज़ थे जहां दलितों द्वारा मंदिरों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध था। इसके अतिरिक्त, गैर-हिंदू दलित, विशेष रूप से ईसाइयों और मुसलमानों को हिंदू दलितों के लिए उपलब्ध नौकरियों या स्कूल नियोजन में कोई

अधिकारिक अरक्ष्ण नही है , जो इन समूहों की महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक उन्नति में बाधा पहुंचाता है।

विदेशी (सहायता) नियंत्रण अधिनियम: 2010 का विदेशी (सहायता) नियंत्रण अधिनियम विदेशी व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों से प्राप्त धन के अन्तर्वाह और उपयोग को नियंत्रित करता है जो कि "अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक" हो सकता है। अप्रैल 2015 में, गृह मंत्रालय ने लगभग 9,000 धर्मार्थ संगठनों के लाइसेंस रद्द किए थे। मंत्रालय ने कहा है कि रद्दीकरन अधिनियम की रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के अनुपालन तहत किया गया है, परन्तु कई धार्मिक और गैर धार्मिक गैर-लाभकारी संस्था ने दावा किया है कि वे मानव आवागमन, प्रसव की स्थिति, धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य मानव अधिकार, पर्यावरण, और भोजन के मुद्दों पर सरकार के खराब रिकॉर्ड को प्रकाशित करने के प्रतिरोध में शामिल थे। प्रभावित संगठनों में ईसाई गैर-लाभकारी संस्था थे जो स्कूलों के निर्माण, अनाथालयों और गिरजाघरों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और उनके संस्थापकों के लिए विदेशी सह-धर्मिओं से धन प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए, दो गैर-लाभकारी संस्था ,सबरंग ट्रस्ट और सिटिज़न फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी), जो झगडों के समाधान के कार्यक्रम चलाते हैं और वह 2002 में हुए गुजरात दंगों के केस लड़ते हैं जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र पर आधारित फोर्ड फाउंडेशन, जो आंशिक रूप से सबरंग ट्रस्ट और सीजेपी को वित्त प्रदान करती है, "निगरानी सूची" में डाली गई थी जब गृह मंत्रालय ने इस पर 'सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए उकसाने' का आरोप लगाया था।

सांप्रदायिक हिंसा: उत्तरप्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और राजस्थान राज्य सांप्रदायिक हिंसा और सबसे अधिक धार्मिक हमलों वाले और सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले स्थान हैं। भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, 2015 में, भारत में पिछले वर्ष के मुकाबले सांप्रदायिक हिंसा में 17% वृद्धि हुई है। 2014 में, सांप्रदायिक हिंसा की 644 घटनाएं थीं जो कि 2015 में बढ़कर 751 हो गई थीं। 2015 में, 97 लोग मारे गए और 2246 ज़ख्मी हुए। उत्तरप्रदेश में 155 घटनाएं हुईं जिनमें 22 लोग मरे और 419 ज़ख्मी हुए। 2015 में अधिक सांप्रदायिक हिंसा वाले अन्य राज्य हैं: बिहार(71), महाराष्ट्र (105), मध्य प्रदेश(92) , कर्नाटक (105) और गुजरात(55)। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुसलमान दावा करते हैं कि सरकार अक्सर हिंसा की धार्मिक-प्रेरित प्रकृति को छिपाने के लिए उनके खिलाफ हमलों को सांप्रदायिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत करती है।

बड़े पैमाने की हिंसा की पिछली घटनाओं पर समुचित कार्रवाईः भारतीय न्यायालयों में वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में और वर्ष 2002 में गुजरात में हुई बड़े पैमाने की हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा, 2007-08 में उड़ीसा में हिंदू-ईसाई सांप्रदायिक हिंसा और वर्ष 1984 में दिल्ली में हिंदू-सिख सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामलों पर सुनवाई चल रही है। गैर-सरकारी संगठन, धार्मिक नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता इन जांच और न्यायिक कार्रवाइयों में धार्मिक पूर्वाग्रह और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। इसके अतिरिक्त, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय दावा करते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों को अक्सर गवाही न देने के लिए धमकाया जाता है, विशेष रूप से जब स्थानीय राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या नेताओं के मामलों में फंसे हों। फ़रवरी 2016 में, 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगों पर विशेष फैसले के अनुसार सबूतों के अभाव में 10 लोगों को आगजनी और हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया। पुलिस में बलात्कार के छह पंजीकृत मामले या तो अभी तक अदालतों में लंबित है या अभी भी उनकी जांच की जा रही है। अगस्त 2015 में, भारत सरकार ने उड़ीसा हिंसा के 12 पीड़ितों को 15,000 रुपए (यूएस $ 225) मुआवजा दिया, अन्य मामले अभी भी अदालत में लंबित हैं। गुजरात हिंसा से जुड़े मामले अभी भी अदालतों में चल रहे हैं। हालांकि, कई विश्वसनीय रिपोर्ट ऐसी हैं जिनमे सरकार ने न्याय के लिए लड़ने वाले वकीलों और कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा है। फ़रवरी 2015 में, 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हुईघटनाओं की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई एसआईटी (SIT) बनाई गई है। खबर के अनुसार, एसआईटी (SIT) ने अपनी जांच पर कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की है, कोई नया मामला भी दर्ज नहीं किया है।

अमेरिकी नीति

भारत और संयुक्त राष्ट्र ने पिछले कई दशकों से संबंधों को बढाया है, भारत अब संयुक्त राष्ट्र के एक "रणनीतिक" और "प्राकृतिक" सहयोगी के रूप में वर्णित किया जाता है। वर्ष 2009 में, उस समय की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिकी भारतीय रणनीतिक संवाद आरंभ किया जिसके माध्यम से इन दोनों देशों ने कई प्रकार के द्विपक्षीय, वैश्विक और क्षेत्रीय मामलों पर विचार किया जैसे आर्थिक विकास, व्यवसाय और व्यापार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई और पर्यावरण। धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को किसी भी संवाद में शामिल नही किया गया। 2015 में, संयुक्त राष्ट्र- भारतीय रणनीतिक और व्यवसायिक संवाद के लिए भारत से संबंध विस्तृत किए गए।

अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते कायम करने के प्रयास के तौर पर, ओबामा प्रशासन ने भारतीय सरकार के प्रति महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है।। राष्ट्रपति बराक ओबामा की मेजबानी के अंतर्गत पहली राजकीय मुलाकात नवंबर 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ आयोजित की गई। नवंबर 2010 में, राष्ट्रपति ओबामा ने भारत में तीन दिन का राजकीय दौरा किया और भारत के वार्षिक गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने के लिए जनवरी 2015 में वे दोबारा आए और भारत में दो बार आने वाले वह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने।

वर्ष 2015 में अपनी मुलाकात के दौरान, और दोबारा फ़रवरी 2015 में अमेरिकी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में भारत के धार्मिक स्वतंत्रता मामलों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। नई दिल्ली में टाउन हॉल के कार्यक्रम में अपने भाषण में भारत की सफलता के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का महत्व रेखांकित करते हुए देश से यह अपील की कि वे ''धार्मिक आस्था के अनुसार बिखरे नहीं" और यह कहा कि यह ऐसा स्थान है जहां "...पिछले वर्षों में कई मौकों पर सभी प्रकार के धार्मिक आस्थाओं को दूसरी आस्था वाले अन्य लोगों द्वारा लक्षित किया गया और ऐसा केवल उनकी परांपरा और उनके विश्वास के कारण किया गया - ये असहनशीलता की ऐसी कार्रवाई थी जिनसे राष्ट्र को स्वतंत्रता हासिल करने में योगदान देने वाले व्यक्ति [महात्मा] गांधीजी को आघात पहुंचा होता।''

फ़रवरी 2015 के मध्य में, भारतीय कैथॉलिक संतों को सम्मानित करने वाले समारोह में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि उनकी सरकार ''सुनिश्चित करेगी कि आस्था की संपूर्ण स्वतंत्रता हो और प्रत्येक व्यक्ति को जोरजबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के बगैर अपनी मर्जी से धर्म का पालन करने या उसे अपनाने का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हो।''यह वक्तव्य वर्ष 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लंबे समय तक उन पर लगे इन आरोपों को देखते हुए उल्लेखनीय है कि श्री मोदी उस राज्य में मुस्लिम विरोधी दंगों में समान रूप से दोषी थे।

मार्च 2016 में, यूएससीआइआरएफ (USCIRF) ने देश में लंबे समय से धार्मिक स्वतंत्रता की बढ़ रही चिंता के कारण भारत की यात्रा करने की मांग की। यूएससीआइआरएफ (USCIRF) को अमरीकी विदेश विभाग और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास का पूरा समर्थन मिला। हालाँकि, भारत सरकार यूएससीआइआरएफ (USCIRF) प्रतिनिधिमंडल को वीज़ा जारी करने में असफल रही, जिसे प्रभावी रूप में इंकार ही कहा जा सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, जॉन किर्बी ने संवाददाता द्वारा किए प्रश्न

के उत्तर में कहा कि विभाग "इस खबर से निराश था।" भारत सरकार 2001 और 2009 में भी यूएससीआइआरएफ (USCIRF) को वीज़ा जारी करने में असफल रही थी।

अनुशंसा

2004 के बाद से, अमेरिका और भारत ने ऊर्जा, सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे के साथ-साथ लोकतंत्र और कानून के राज्य के साझा मूल्यों के बारे में अपनी साझा चिंताओं के आधार पर एक रणनीतिक रिश्ता मजबूत किया है। इस महत्वपूर्ण संबंध के हिस्से के तौर पर, यूएससीआईआरएफ ने सुझाव दिया कि अमेरिकी सरकार को निम्नलिखित करना चाहिएः

- संघीय और प्रांतीय, दोनों स्तरों पर भविष्य के महत्वपूर्ण संवादों का फ्रेमवर्क बनाने सहित भारत के साथ द्विपक्षीय संपर्कों में धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति चिंता को शामिल करना और धार्मिक हिंसा के मामलों को प्रतिबंधित व दंडित करने के प्रभावकारी उपाय लागू करने और पीड़ितों व गवाहों की सुरक्षा करने के लिए राज्य व केंद्रीय पुलिस की क्षमता मजबूत करने को प्रोत्साहित करना;

- धार्मिक स्वतंत्रता और संबंधित मानवाधिकारों के मामलों पर अमेरिकी दूतावास द्वारा ध्यान दिए जाने को बढ़ाना जिसमें उन क्षेत्रों में राजदूत और अन्य अधिकारियों द्वारा दौरान करना शामिल है जहां सांप्रदायिक व धार्मिक प्रेरित हिंसा हुई है या होने की संभावना है और धार्मिक समुदायों, स्थानीय सरकारी नेताओं और पुलिस से बैठक करना;

- यूएससीआईआरऍफ़ (USCIRF) को देश की यात्रा करने और संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर को धार्मिक स्वतंत्रता या भारत की यात्रा पर विश्वास के लिए प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमति देने पर दबाव डालना;

- पुलिस व न्यायिक व्यवस्था के लिए मानवाधिकार व धार्मिक स्वतंत्रता के मानक व प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए भारत से अपील करना, खासतौर पर उन राज्य व क्षेत्रों में जहां धार्मिक व सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास या इसकी संभावना है;

- भारत की केंद्र सरकार से राज्यों पर यह दबाव डालने की अपील करना की वह धर्मांतरण विरोधी कानून में बदलाव लाएं ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकार मानकों के अनुकूल बनाने के लिए बदला जा सके या संशोधित किया जा

सके; ऐसे कानूनों के प्रति अमेरिकी विरोध को स्पष्ट करना जो विचारों व संगठन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं; और

- भारतीय सरकार को उन सरकारी अधिकारियों व धार्मिक नेताओं को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने की अपील करना जिन्होंने धार्मिक समुदायों के बारे में अपमानजनक वक्तव्य दिए हैं।